

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

06/09/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक तुराम बोदरा, पिता- स्व० सिकुर बोदरा, ग्राम- तमाड़बाँध, थाना- मुफ्फासिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना- 125, खाता नं०-16, प्लॉट नं०- 513, रकबा- 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मेचो चाम्पिया, पति- श्री दामोदर चाम्पिया, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फासिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 591, दिनांक- 31.8.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मेचो चाम्पिया, पति- श्री दामोदर चाम्पिया, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फासिल, के पास 8,32,500.00/- (आठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक तुराम बोदरा, पिता- स्व० सिकुर बोदरा, ग्राम- तमाड़बाँध, क्रेता मेचो चाम्पिया, पति- श्री दामोदर चाम्पिया, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फासिल के पास 8,32,500.00/- (आठ लाख बत्तीस हजार) रुपये में मौजा- तमाड़बाँध, थाना- 125, खाता नं०- 16, प्लॉट नं०- 513, रकबा- 0.07½ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।